

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0) (सं0 पटना 1131) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 25/2019 - राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 371 दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, अधिसूचित करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, यथा:-

"लाईसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल की एवज में शराब के लाईसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा ।"

> [(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)2925)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 371, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्निलेखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—7)25)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 30th September 2019 Notification No. 25/2019- State Tax (Rate)

S.O. 371, Dated 30th September 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the State Governments, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

"Service by way of grant of liquor licence, against consideration in the form of licence fee or application fee or by whatever name it is called."

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7) 25)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1131-571+10-डी0टी0पी0।

Website: 1 http://egazette.bih.nic.in